अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/240/2020

तारीख रजू........................

अशोक **बनाम** कुसुमलता वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 1196/2410 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 23.02.2021को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 23.02.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
23.3.21	वकील प्रा0 उप0। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से श्री सुभाषचन्द शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब को समय चाहा गया। अप्रार्थी सं0 2,3 की ओर से UT सुभाषचन्द शर्मा ने भी वकालतनामा पेश करने को समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते ग्रोफ की तलबी जारी होवे। पत्रावली वास्ते जवाब / वकालतनामा / ग्रोफ की तलबी दिनांक 23/3/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	जैलसिंह सं0 2, 3 की ओर से UT. [illegible] वकील प्रार्थी [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	P.O. अन्य कार्य में व्यस्त। सुनवाई दिनांक 23/3/22 को पेश हो। [signature]	
23/3/22	वकील उभय। P.O. राधावल्लभ शर्मा ने प्र०पत्र 01 R10 CPC पेश की। वादी जवाब / बहस प्रार्थना-पत्र 01 R10 CPC दिनांक 29/3/22 को पेश हो। [signature]	
29/3/22	वकील ... उपस्थित। ... दिनांक 23/3/22 ... जवाब / बहस 01 R10 CPC दिनांक 4/4/22 को पेश हो। [signature]	
4/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र 1 R10 को और चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र को Not Press कर दिया है अतः प्रार्थना पत्र 1 R10 वकील प्रार्थी के Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया गया [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	7.1 प्राविधान ... नोटेड किया जाता है [signature] 4.4.22